

आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा, प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी,
मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक...../03/2024

क्रमांक/...../अका/स्था/2024

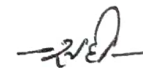
//आदेश//

अकादमी आदेश क्रमांक/1923-1924/अका/स्था/2022 भोपाल, दिनांक 05/05/2022 एवं 11/04/2023 में आंशिक संशोधन करते हुए महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतिरोध) अधिनियम 2013, नियम 2013 एवं मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक मबवि/2019/730 दिनांक 22/07/2019 अनुसार आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी में निम्नानुसार आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जाता है :-

- 1/ श्रीमती नेहा भारतीय, -पीठासीन अधिकारी
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
- 2/ श्री रामबाबू धाकड़, -सदस्य
संयुक्त संचालक(वित्त)
- 3/ सुश्री प्रिया शर्मा, -सदस्य सचिव
सहायक प्राध्यापक, लोक प्रशासन(संविदा)
- 4/ श्रीमती ऊषा उपाध्याय, -सदस्य
कार्यकारी निदेशक, दिग्दर्शिका, पुर्नवास एवं अनुसंधान
संस्थान, भोपाल (मो.नं.9425301177/0755-2562611)

2/ अधिनियम 2013 की धारा 4(3) के प्रावधान के अन्तर्गत पीठासीन अधिकारी एवं सरल क्रमांक 02 से 03 पर दर्शित मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम तीन वर्ष अथवा उनके अकादमी से कार्यमुक्त होने की अवधि तक होगा। क्रमांक 04 पर मनोनीत सदस्य का कार्यकाल तीन वर्ष रहेगा।

3/ अशासकीय संस्था के मनोनीत सदस्य को अधिनियम की धारा 4(4) के तहत समिति की बैठकों में उपस्थिति होने पर नियमानुसार फीस/भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।
संचालक द्वारा अनुमोदित।


प्रभारी अधिकारी (स्थापना)

आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा, प्रशासन अकादमी
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृष्ठां. क्रमांक/1660.../अका./स्था./2024

भोपाल, दिनांक 20/03/2024

- 1/ श्रीमती नेहा भारतीय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी/पीठासीन अधिकारी, आंतरिक परिवाद समिति, प्रशासन अकादमी की ओर सूचनार्थ।
- 2/ वरिष्ठ निज सहायक महानिदेशक/निज सहायक संचालक, प्रशासन अकादमी, भोपाल।

आर.सी.वी.पी.नरोन्हा, प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी,
मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/-----/अका./स्था/1-53/2023

भोपाल, दिनांक ----/04/2023

// आदेश //

अकादमी आदेश क्रमांक 1923-24/अका./स्था/1-53/2022 दिनांक 05/05/2022 में आंशिक संशोधन करते हुए श्रीमती जानेश्वरी राव, सहायक प्राध्यापक, लोक प्रशासन (मूल पद व्याख्याता) को अकादमी से दिनांक 24/3/2023 को भारमुक्त किये जाने के फलस्वरूप उनके स्थान पर सुश्री प्रिया शर्मा, सहायक प्राध्यापक, लोक प्रशासन (संविदा) को आंतरिक परिवाद समिति का सदस्य सचिव नामांकित किया जाता है।

वि.क.अ.-सह-संचालक द्वारा अनुमोदित

प्रभारी अधिकारी (स्थापना)

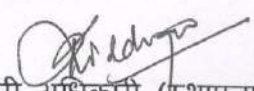
आर.सी.वी.पी.नरोन्हा, प्रशासन अकादमी,
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृष्ठां. क्रमांक/---1876---/अका./स्था/1-53/2023

भोपाल, दिनांक-11/04/2023

प्रतिलिपि:-

- 1/ श्रीमती नेहा भारतीय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी/अध्यक्ष आंतरिक परिवाद समिति, प्रशासन अकादमी की ओर सूचनार्थ।
- 2/ समस्त समिति सदस्य (नाम से), प्रशासन अकादमी की ओर सूचनार्थ।
- 3/ वरिष्ठ निज सहायक, महानिदेशक/निज सहायक, वि.क.अ.-सह-संचालक, प्रशासन अकादमी।
- 4/ सुश्री प्रार्थना मिश्रा, निदेशक, संगिनी एन.जी.ओ, ए-4, जय भवानी फेस-2 रोहित नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 5/ प्रभारी अधिकारी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी शाखा, प्रशासन अकादमी की ओर भेजकर अनुरोध है कि अकादमी की वेबसाइट पर अद्यतन करने के लिए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 6/ प्रभारी अधिकारी, भण्डार शाखा, प्रशासन अकादमी की ओर भेजकर अनुरोध है कि अकादमी में आंतरिक परिवार समिति से संबंधित स्थापित डिस्प्ले बोर्ड में आवश्यक संशोधन करने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
- 7/ आदेश नस्ती/कार्यालय प्रति।


प्रभारी अधिकारी (स्थापना)

आर.सी.वी.पी.नरोन्हा, प्रशासन अकादमी,

मध्यप्रदेश, भोपाल

आर.सी.व्ही.पी.नरोन्हा, प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी,
मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/-----/अका./स्था./1-53/2022

भोपाल, दिनांक -----/05/2022

//आदेश//

पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 4435-36/अका./स्था./1-53/2019 दिनांक 03/08/2019 में आंशिक संशोधन करते हुए मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक मबावि/2019/730 दिनांक 22/07/2019 अनुसार महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013, नियम 2013 के संबंध में आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी में निम्नानुसार आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जाता है:-

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. श्रीमती नेहा भारतीय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी | अध्यक्ष |
| 2. प्रो. प्रमोद चतुर्वेदी, रीडर लोक प्रशासन | सदस्य |
| 3. श्रीमती ज्ञानेश्वरी राव, सहायक, प्राध्यापक (लोक प्रशासन) | सदस्य सचिव |
| 4. सुश्री प्रार्थना मिश्रा, निदेशक संगिनी एनजीओ | सदस्य (9424477290,
0755-4276158) |

अधिनियम की धारा 4(3) के प्रावधानों के अंतर्गत अध्यक्ष एवं सरल क्रमांक 2 तथा 3 पर मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम तीन वर्ष अथवा उनके अकादमी में कार्यरत रहने की अवधि, जो भी पहले तक होगा। सरल क्रमांक 4 पर मनोनीत सदस्य का कार्यकाल 03 वर्ष रहेगा।

सरल क्रमांक 4 पर मनोनीत अशासकीय संस्था के सदस्य को अधिनियम की धारा 4(4) के अनुसार समिति की बैठकों में उपस्थित होकर भाग लेने हेतु नियमानुसार फीस/भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।

संचालक द्वारा अनुमोदित।

प्रभारी अधिकारी (स्थापना)

आर.सी.व्ही.पी.नरोन्हा, प्रशासन अकादमी

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 05/05/2022

पृष्ठांक./---1924---/अका./स्था./1-53/2022

प्रतिलिपि:-

- 1/ वरिष्ठ निज सहायक महानिदेशक/निज सहायक संचालक, प्रशासन अकादमी भोपाल।
- 2/ श्रीमती नेहा भारतीय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, अध्यक्ष आंतरिक परिवाद समिति, प्रशासन अकादमी की ओर मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के पत्र क्रं म.बा.वि./2019/730 भोपाल, दिनांक 22/7/2019 की छायाप्रति संलग्न कर अनुरोध है कि पत्र में दिये गये निर्देशानुसार कृपया कार्यवाही सुनिश्चित करें।
- 3/ प्रो. प्रमोद चतुर्वेदी, रीडर लोक प्रशासन, प्रशासन अकादमी, भोपाल।
- 4/ श्रीमती ज्ञानेश्वरी राव, सहायक प्राध्यापक लोक प्रशासन, प्रशासन अकादमी, भोपाल।
- 5/ सुश्री प्रार्थना मिश्रा, निदेशक, संगिनी एन जी ओ, जी-385, गुलमोहर अरेरा कालोनी भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 6/ प्रभारी अधिकारी आई.टी. शाखा की ओर वेबसाइट अद्यतन करने हेतु सूचनार्थ।
- 7/ आदेश नस्ती

AOIC(17)
5-5-22

प्रभारी अधिकारी (स्थापना)

आर.सी.व्ही.पी.नरोन्हा, प्रशासन अकादमी

मध्यप्रदेश, भोपाल